



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, Const.DIV. POKHARI

Ph. No/Fax No :- 01372-222156

E Mail :- eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 816 / 11सी0

दिनांक 22/07/2020

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्र सं0 Proposal No. FP/UK/ROAD/43934/2020, EDS Dated 02-06-2020.

महादेय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	Date has been not mentioned in FRA at section K in Form A, Part A by user agency.	The Objection has been corrected and uploaded at required form A, part 1 online.
02	Aerial distance certificate (Please mention nearest national park/wildlife sanctuary name as well as distance) has not been uploaded at additional information in para-13 in form A, part II.	The part-II is concerned with DFO, so the objection will be corrected by respective DFO. Aerial distance certificate has been uploaded at additional information in para-13 in form A, part I.
03	CA scheme, CA site suitability certificate Bar chart tree list & district profile have not been uploaded as additional information in para 13 in form A part II.	The part-II is concerned with DFO, so the objection will be corrected by respective DFO
04	User agency may show alternate alignment detail in uploaded KML file of proposed road at section C(ii-b) in form A, part I.	The alternate alignment detail has been shown and uploaded KML file of proposed road at section C(ii-b) in form A, part I.
05	Working plan prescription has been wrongly filled at section 5 in form A, Part II.	The part-II is concerned with DFO, so the objection will be corrected by respective DFO.

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी

कार्यालय

उत्तराखण्ड वन-सदैव आपके संग

मुख्य वन संरक्षक, निगरानी, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 235 / 32-1-2(जी.आई.एस.) देहरादून, दिनांक: 13 अगस्त, 2019

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि

पोखरी चमोली।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 1177/11सी0 दिनांक 27-07-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग की केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 15 कि0मी0 GIS तकनीकी द्वारा दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

भवदीय,

मुख्य वन संरक्षक,
निगरानी, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रीता - मालकोटी सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 हे० दन इनि
हरतान्तरण के एवज में दो गुने के बराबर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (रोपण कार्य 3.78 हे०) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना का प्रावकलन

- परियोजना का नाम- उडामाण्डा से कुनेडा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण
- वृक्षारोपण स्थल का नाम- ग्राम जैली
- वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल-
- रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या
- रोपित किये जाने वाले प्रजाति - प्राकृतिकवास के अनुसार

3.780 हे०

7560 पौधे

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर-नागनाथ दन क्षेत्र

क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई	दर	घनराशि
1	सर्वेक्षण व सीमांकन कार्य	3.780 हे०	151.00	570.78
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाड़ी काटना व सफाई करना	3.00 हे०	5050.00	15150.00
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ०मी० में)	328.86 घ०मी०	346.00	113785.56
4	अभियन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	3.780 हे०	9859.00	37267.02
5	गड्डे खुदान कार्य पर व्यय (0.30X0.30X0.45)	7560 सं०	3.94	29786.40
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य पर व्यय	240 घ०मी०	21.00	5040.00
7	अन्य व्यय जैसे संयंत्र क्रय करना-औजार तेज करना	5 बार	600.00	3000.00
8	कण्डूर नाली हेतु सीमांकन कार्य	800 सं०मी०	1.05	840.00
9	कण्डूर नाली खोदना	800 सं०मी०	14.40	11520.00
10	कण्डूर नाली हेतु डी०ए०पी०	800 सं०मी०		4000.00
11	चैकडेम व घाल खाल बनाना	800 सं०मी०		120000.00
12	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	6 सं०	20000.00	68040.00
	योग प्रथम वर्ष	7560 सं०	9.00	408999.76
	द्वितीय चरण	7560 सं०	1.78	13456.80
1	गड्डे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	2.000 हे०	2363.00	4726.00
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाड़ी काटान व सफाई करना	7560 सं०	2.13	16102.80
3	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	7560 सं०	11.00	83160.00
4	पौध डलान का कार्य पर व्यय	7560 सं०	3.46	26157.60
5	पौध रोपण तथा धावला बन्दी कार्य पर व्यय	7560 सं०	1.42	10735.20
6	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	7560 सं०	4.43	33490.80
7	दो बार निराई गुड़ाई व मल्लिचंग पर व्यय	500 सं०	3.44	1720.00
8	पौधों पर कल्चर कार्य	800 सं०	595.00	15743.70
9	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	3.780 हे०	800.00	3024.00
10	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	3.780 हे०	340.00	1285.20
11	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मोटर की पट्टी को साफ करना।	2 सं०	10000.00	20000.00
12	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुस्सा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना :- प्रशिक्षण	2- प्रोत्साहन	1 सं०	15000.00
	योग द्वितीय चरण	3.780 हे०	L-S	15000.00
	तृतीय चरण			259602.10
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य (12) माह	3.780 हे०	595.00	26989.20
2	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	3.780 हे०	830.00	3137.40
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	3.780 हे०	830.00	3137.40
4	शीतकाल में पौधों की गुड़ाई एवं मल्लिचंग करना	7560 सं०	2.38	17992.80
5	पौध की कीमत तृतीय वर्ष	1000 सं०	11.00	11000.00
6	पौध डलान	1000 सं०	9.00	9000.00
7	पुनः गड्डा खोदना तथा रोपण करना	1000 सं०	6.00	6000.00
8	पुराने पौधों पर कल्चरल कार्य करना	1000 सं०	4.13	4130.00
9	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुस्सा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2 सं०	10000.00	20000.00
	योग तृतीय चरण	2- प्रोत्साहन	2 सं०	13000.00
	चतुर्थ चरण			127386.80
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य (12) माह	3.780 हे०	595.00 प्रति हे०	26989.20
	योग चतुर्थ चरण			26989.20
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य (12) माह	3.780 हे०	655.00 प्रति हे०	29710.80
	योग पंचम चरण			29710.80
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य (12) माह	3.780 हे०	720.00 प्रति हे०	32659.20
	योग षष्ठम चरण			32659.20
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य (12) माह	3.780 हे०	792.00 प्रति हे०	35925.12
	योग सप्तम चरण			35925.12
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य (12) माह	3.780 हे०	885.00 प्रति हे०	40143.60
	योग अष्टम चरण			40143.60
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य (12) माह	3.780 हे०	973.00 प्रति हे०	44135.28
	योग नवम चरण			44135.28
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य (12) माह	3.780 हे०	1070.00 प्रति हे०	48535.20
	योग दशम चरण			48535.20
	कुल योग			1054087.06
				या 1054087.00

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन केदारनाथ
नागनाथ वन्य जीव
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

परियोजना का नाम :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- सेरा मालकोटी
तहसील- पोखरी
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु — है०, कुल 1.89 है० भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में सेरा मालकोटी द्वारा दिनांक 11.10.2010 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

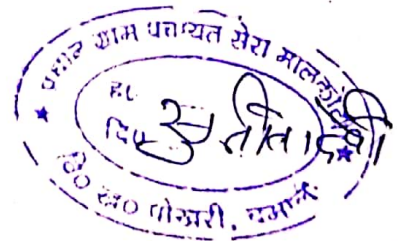
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सेरा मालकोटी के ग्रामवासियों को उक्त 1.89 है० भूमि का लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

गुब्बारी देवी
वीरपाल
Bhramsh
Bram

महेश्वर शर्मा
मु. महेश्वर शर्मा
G. M. M.
G. M. M.



परियोजना का नाम :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० (1.89 है० वन पंचायत भूमि) का लोक निर्माण विभाग, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी) की दिनांक 29-11-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवानंद शर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1- श्री <u>देवानंद शर्मा</u> | उपजिलाधिकारी | <u>देवानंद शर्मा</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>पुष्पिका शर्मा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>पुष्पिका शर्मा</u> | सदस्य |
| 3- श्री <u>कृष्णिका शर्मा</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>कृष्णिका शर्मा</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>जयश्री देवी</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र <u>मन्तेलनी देवी</u> | <u>जयश्री देवी</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पोखरी
जनपद- चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पोखरी
जनपद- चमोली

Pinku
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली
28/11/19

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No.....

Dated..05/12/2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.89 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Pokhari for Construction of New Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Sera Malkoti village in Pokhari tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी

चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriya (I.A.S.) District Magistrate Chamoli on date 05/12/19 at time 03:30 P.m. at Chamoli in which application claiming rights in total area measuring 1.89 hect. for the construction of Rauta-Malkoti-Sera Motor Road (5.00 Km.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 05/12/2019

जिला अधिकारी

चमोली

**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

28/11/19
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली